मलुवा निस्तारण प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के नव निर्माण के दौरान उत्पादित मलवे का निस्तारण मार्ग निर्माण हेतु भरान कार्य में किया जाएगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र
राँची (नैनीताल)

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगूनियांखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मानक शर्तें

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से

वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगूनियांखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगूनियांखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग का नव निर्माण कार्य किया किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल

मार्ग का नाम :- बजून से खुरपियाखेत मोटर मार्ग -

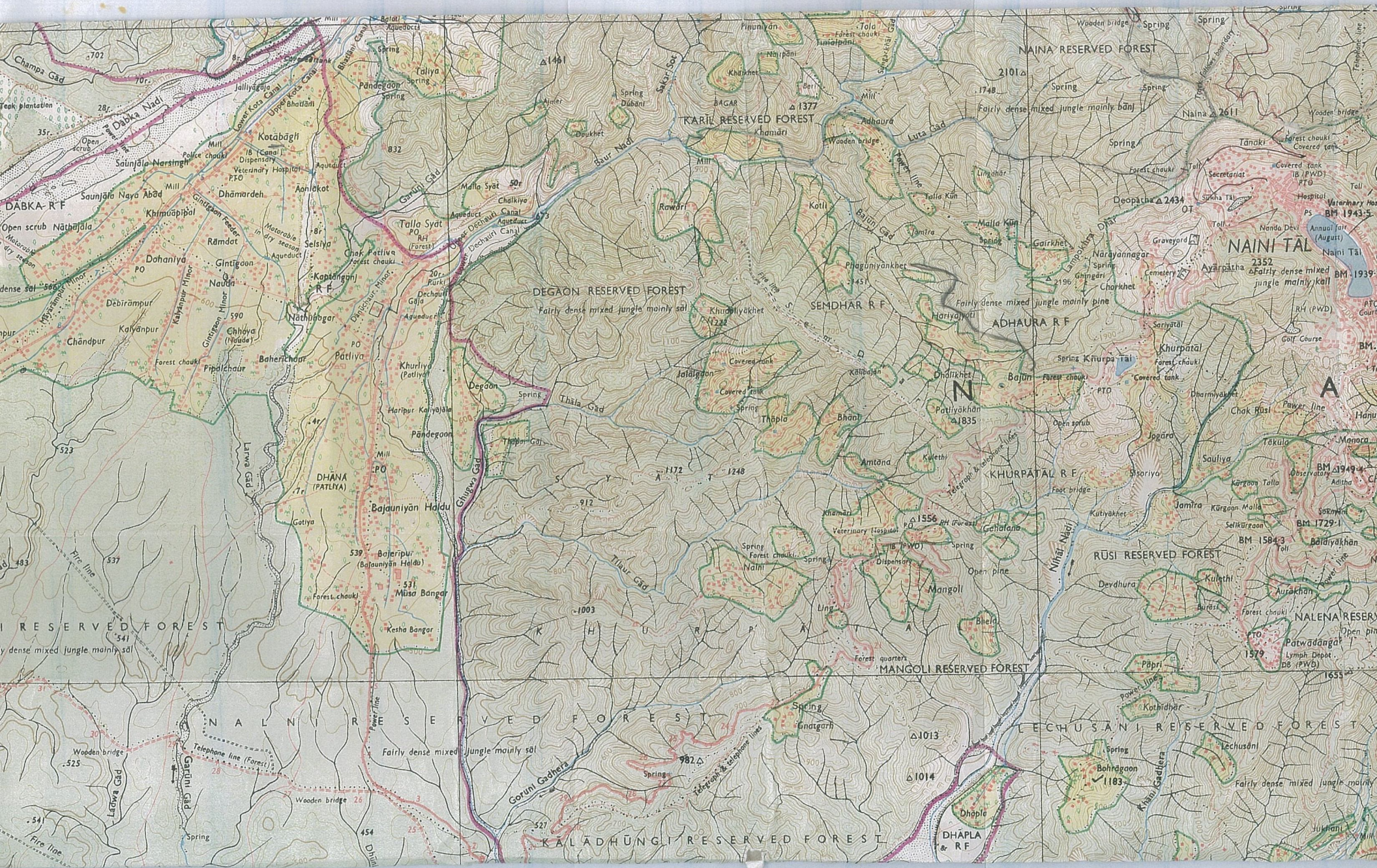

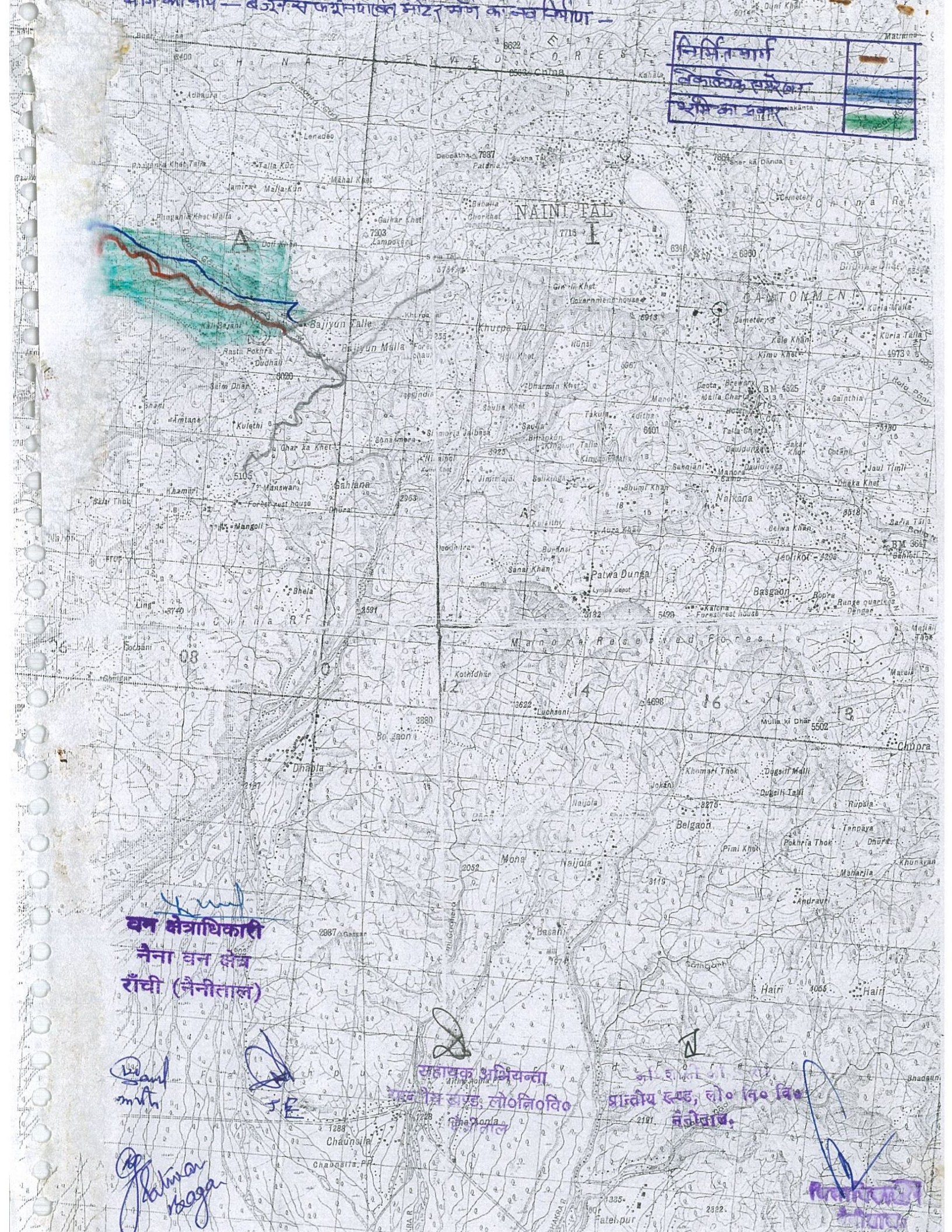

निर्मित मार्ग
वैकल्पिक सरेखण
भूमि का प्रकार
NAINI TAL
CANTONMENT
Manora Reserved Forest
Bajiyun Talle
Bajiyun Malla
Khurpa Tal
Patwa Dunga
Basgaon
Nalkana
Belgaon
Naijola
Mona
Dhapla
Chaunsila
Hairi
Chopra
वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र
रौंची (नैनीताल)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

स्थल विशिष्ट होने/ न होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगूनियांखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र
रौंची (नैनीताल)

जिलाधिकारी,
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

तहसीलदार
नैनीताल